13/03/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। केविएट कर्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री राजेश शर्मा हाजिर है। शेष अप्रार्थीयो की तलबी रजि. AD होकर रशीदे पत्रावली मे शामिल है। अप्रार्थी संख्या 2-6 बावजूद सूचना के उपस्थित नही आये है आवाज लगवाई गई कोई भी अप्रार्थी उपस्थित नही आया है अतः अप्रार्थी संख्या 2-6 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या-एक की सहमति पर पत्रावली पर फाईनल बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्रा के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किये कि नयम शिवसिंहपुरा

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

गौरी v/s जयराम
सीआई - 2024/15

तहसील निर्देश्या स्थित आराजी खसरा नम्बर 523/42, 524/42, 525/42, 526/42 कुल किता-4 कुल रकबा 1.8209 हैक्टे० कृषि भूमि प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की सह-खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें प्रत्येक का बराबर-बराबर 1/4-1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की अभिलिखित सह-खातेदार है। वादग्रस्त आराजी उपरोक्त की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। सह-खातेदारी की कृषि भूमि के सम्बन्ध मे विधि की अवधारणा है कि "every Coaltenat has possession on every Inch of Dispute Land" फलस्वरूप प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक हिस्से पर कब्जा सिद्ध होता है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार है एवम सह-खातेदारी की भूमि पर अप्रार्थियों को प्रवेश करवाने की हकदार है इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे बखूबी सिद्ध है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के आगे तर्क है कि सह-खातेदारी की कृषि भूमि के विशिष्ट भू-भाग का हस्तान्तरण किसी भी खातेदार द्वारा विधिवत विभाजन होने तक नहीं किया जा सकता है।

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	मोरी बनाम जयराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज टीआई - 2024/15	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परन्तु यहाँ अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 अपनी बदनियत के कारण प्रार्थिनी के हिस्से की भूमि का भी किसी इतर व्यक्ति को बेचान करना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है यदि अप्रार्थी अपने मनसूबो में कामयाब हो जाये तो प्रार्थिनी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति होना सम्भव नही है। प्रार्थिनी वादग्रस्त आराजी की अविभाजित सह-खातेदार है तथा अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही है यदि बिना विधिवत विभाजन सह-खातेदारों की कृषि भूमि का इतर व्यक्तियो को हस्तान्तरण हो जाता है तो प्रार्थिनी को भारी समस्या होगी एवं अकारण ही वाद बढ़ जायेगे। इस प्रकार रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिनी के पक्ष मे ही है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत विभाजन होने तक अप्रार्थीगणों को वादग्रस्त आराजी के रहन, बय,	

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

हस्तान्तरण तथा वादग्रस्त आराजी पर निर्माण न करने व कब्जे काश्त में दखल अंदाजी न करने बाबत पाबन्द किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या एक ने अपनी बहस मे वकील प्रार्थी की बहस का पुरा हद तक खण्डन किया कि सह-खातेदार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है यह एक सैटल्ड लॉ है। अप्रार्थी संख्या एक वादग्रस्त आराजी का सह-खातेदार है अतः उनके विरूद्ध कोई भी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

हमने पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर ध्यान पूर्वक गौर फरमाया, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थिनी वादग्रस्त आराजी की सह-खातेदार है किन्तु अप्रार्थी संख्या एक अपराध खातेदार के रूप मे दर्ज नही है। फलस्वरूप अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के बेचान का तर्क निराधार है। प्रार्थिनी वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्ड खातेदार है तथा वांछित अनुतोष पाने की हकदार है अतः प्रस्तुत प्रार्थना प्रकरण

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थिनी के पक्ष मे सिद्ध है। हम विद्वान वकील प्रार्थिनी के "सह-खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सह-खातेदार के कब्जे" के तर्क से पूर्णतः सहमत है। सह-खातेदारी की भूमि भूमि के specific portion का बंटवारा नही किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो अन्य सह-खातेदारों को हानि होने तथा मुकदमेबाजी बढ़ने की सम्भावना है। इस प्रकरण मे भी यह तथ्य लागू होते है फलस्वरूप प्रार्थिनी को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। प्रार्थिनी रिकॉर्डेड खातेदार है अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिनी के पक्ष मे ही है। अतः तीनों बिन्दु प्रार्थिनी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थिनी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त विवेचन एवम् तथ्यों के आधार पर निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का प्रार्थिनी के पक्ष मे सिद्ध होने तथा प्रार्थिनी के वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार	

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

होने के कारण प्रार्थिनी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील-लिहरिना स्थित ख.न. 523/42, 524/42, 525/42, 526/42 पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करने, कब्जाकाश्त में दखल न देने व बेचान नहीं करने बाबत प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल-शुमार होकर-शामिल मुलवाड रहे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)